MCF/RBL

SN-1...

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली
(कार्मिक विभाग)

Record Note of discussion held on 28.06.2021in the meeting room of Personnel Department.

भंडार विभाग के अतिरिक्त विभाग में 66-2/3% पदोन्नति कोटा के तहत वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति के संबंध में प्राप्त शिकायतों के समाधान हेतु दिनांक- 28.06.2021 को 11:00 बजे, कार्मिक विभाग के सभा कक्ष में संबंधित स्टॉफ प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के साथ बैठक की गई।

2. बैठक में कार्मिक विभाग से प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, उप मुख्य कार्मिक अधिकारी, मुख्य कार्यालय अधीक्षक तथा कर्मचारियों की तरफ से स्टॉफ प्रतिनिधि श्री नैब सिंह, महासचिव (आर.सी.एफ.एम.सी.), श्री रूकमकेश मीना, अध्यक्ष, श्री देवनाथ निर्मल, महासचिव, श्री सुनील कुमार, कोषाध्यक्ष, (अनु. जाति/जनजाति एसो.) व संबंधित कर्मचारी श्री मुकुन्द कुमार, श्री इन्द्रपाल, श्री अजीत कुमार (कनिष्ठ लिपिक, कार्मिक विभाग) व श्री रविन्द्र कुमार, (कनिष्ठ लिपिक, चिकित्सा) उपस्थित हुए।

3. बैठक के दौरान स्टॉफ प्रतिनिधियों व कर्मचारियों द्वारा पदोन्नति को लेकर उठाये गए सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा कर निस्तारण किया गया। बैठक के दौरान उठाये गए मुद्दों पर सभी लोग सहमत हुए जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नवत है:

1. <u>शिकायत-</u> अधिसूचना का किसी माध्यम से प्रचार-प्रसार नहीं किया गया।

   <u>निवारण-</u> इस संबंध में अवगत कराया गया कि उक्त पदोन्नति वरिष्ठता सह लिखित परीक्षा के आधार पर (Suitability/Non- Selection) संपन्न कराई जाती है, जिसके लिए मास्टर सर्कुलर 37 के पैरा 4(i) के अनुसार जितनी रिक्तियाँ होती हैं उतने ही उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है। अतः संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ही सूचित करने की आवश्यकता होती है। यद्यपि प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी महोदय ने निर्देश दिया है कि भविष्य में पदोन्नति से संबंधित सभी अधिसूचना/सूचना नोटिस बोर्ड व आरेडिका की बेवसाइट पर प्रकाशित की जाएँगी। प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी के इस निर्णय पर सभी प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों ने सहमति जताई।

2. **<u>शिकायत-</u> कनिष्ठ कर्मचारियों को पात्रता सूची में रखा गया और वरिष्ठ कर्मचारियों को पात्रता सूची से बाहर रखा गया, जबकि आरेडिका के पत्र सं-** E/Promotion/Reservation/Policy/CC **दिनांक- 21.12.2017 के अनुसार रिजर्व कैटेगरी के कर्मचारी को जनरल उपयुक्तता से ही पदोन्नति की गई है।**

   <u>निवारण-</u> श्री नैब सिंह द्वारा आरेडिका के पत्र सं- E/Promotion/Reservation/Policy/CC **दिनांक- 21.12.2017 के पैरा 2** (iv) **का संदर्भ देते हुए जनरल उपयुक्तता से ही पदोन्नति करने के लिए जोर दिया गया, इस संबंध में उन्हें अवगत कराया गया कि इस कार्यालय के पत्र सं-** E/Promotion/Reservation/Policy/CC **दिनांक- 30.06.2018 के द्वारा आरेडिका के पत्र सं-** E/Promotion/Reservation/Policy/CC **दिनांक- 21.12.2017 के पैरा 2** (iv) **को रद्द कर दिया गया है। अतः पॉलिसी के अनुसार आरक्षित वर्ग की रिक्तियाँ के सापेक्ष वरिष्ठता सूची में उपलब्ध आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को पदोन्नति प्रदान की जाएगी। उप मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा रेलवे बोर्ड के सर्कुलर/नियमों की व्याख्या की गई तथा बताया गया उक्त परीक्षा नियमानुसार**

आरेडिका / रायबरेली

कराई जा रही है। उपरोक्त व्याख्या से कर्मचारी सहमत हुए। परन्तु श्री नैब सिंह का मत है कि पदोन्नति वरीयता क्रम से ही दी जाए तथा आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को अनारक्षित वर्ग के ऊपर जंपिंग न की जाए। श्री नैब सिंह का मत नियमानुसार तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि आरक्षित वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को ही पदोन्नत किया जाना है और रिक्ति उपलब्ध होने पर पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति की जानी चाहिए।

3. <u>शिकायत</u>- इस पदोन्नति में UR-01, SC-01, ST-06 पदों पर पदोन्नति की जा रही है जबकि दो कर्मचारियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। दिनांक- 27.10.2020 को श्री कन्हैया कुमार, कार्यालय अधीक्षक का उत्तर रेलवे, दिल्ली डिविजन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, जिसे जारी हुए छः माह से अधिक का समय हो चुका है।

अतः इस आधार पर रिक्तियों का सृजन नहीं किया जा सकता। रेलवे बोर्ड के पत्र सं. E(NG)/2020/TR/16 दिनांक- 01.10.2020 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र छः माह तक ही वैध होता है। अतः इस पद को रिक्त नहीं माना जा सकता है, परन्तु पदोन्नति के नियमों का उल्लघन करके पद को भी रिक्त माना गया है जो कि नियमानुसार नहीं है।

<u>निवारण</u>- उक्त संदर्भ में अवगत कराया गया कि मास्टर सर्कुलर-37 के पैरा 4(i) के अनुसार सभी प्रकार की अनुमानित रिक्तियों को, रिक्तियों का आंकलन करते समय शामिल कर लिया जाना चाहिए। चूँकि श्री कन्हैया कुमार का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 29.10.2020 को जारी हुआ था जिसके छः माह दिनांक-29.04.2021 को पूर्ण होते हैं, एवं उक्त पदोन्नति हेतु रिक्तियों का आंकलन दिनांक-12.04.2021 को हो चुका था और इसकी विधिक्षा दिनांक 19.04.2021 को संपन्न हो चुकी थी। जो कि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के छः माह की अवधि में है। ज्ञात हो की उक्त रिक्ति को अनुमानित रिक्ति के रूप में लिया गया है जिसके अनुसार कर्मचारी को केवल उपयुक्त किया जाएगा, कर्मचारी को पदोन्नति तभी प्रदान की जाएगी जब उसके लिए पद रिक्त होगा। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि बडौदा हॉउस/उत्तर रेलवे द्वारा जारी कर्मचारी के अनापत्ति प्रमाण पत्र में रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार कोई टिप्पणी नहीं दी गई है कि उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता कितने दिनों की है। यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि रिक्ति आंकलन में कोई त्रुटि नहीं है तो उसे रद्द कर बाद में होने वाली रिक्तियों को शामिल करते हुए पुनः आंकलन नहीं किया जा सकता। इस पर सभी ने सहमति व्यक्त की।

4. <u>शिकायत</u>- दिनांक- 20.05.2021 को इरफान खान, कार्यालय अधीक्षक, का RDSO/ लखनऊ, से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी हुआ जबकि अधिसूचना दिनांक-11.05.2021 को ही जारी हुई जिसमें इस पद को भी रिक्त मानकर पदोन्नति की जा रही है। जो कि नियम विरुध्द है।

<u>निवारण</u>- इस संबंध में संबंधित कार्मिकों को बताया गया कि उक्त पदोन्नति हेतु रिक्त पदों का आंकलन दिनांक-12.04.2021 को आरंभ हो चुका था एवं इसकी विधिक्षा दिनांक 19.04.2021 को संपन्न हो चुकी थी और श्री इरफान खान का अनापति प्रमाण पत्र दिनांक-20.04.2021 को प्राप्त हुआ है। अतः श्री इरफान खान के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमानित रिक्तियों में रिक्ति का आंकलन नहीं किया गया है। इस पर सभी ने सहमति व्यक्त की।

29.06.21
उप मुकाधि.

प्रधान मु.का.अधि. 30/6

कृपया सभी Notice Board पर display करें।

30.6.21

OS/P